कार्यावली सं.–11:–निबंधन सम्बंधित–

a) निबंधन प्रकिया के अंतर्गत निबंधन प्रमाणपत्र लिखने के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क रू.5/– में वृद्धि पर विचारण। (प्रस्तावित रू. 10/–)

प्रस्तावः–वर्तमान में झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थानों एवं विश्वाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है एवं उन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों का निबंधन परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र लिखने के लिये पूर्व अनुमोदित राषि रू. 5/– प्रति प्रमाण पत्र में वृद्धि का विचार किया गया एवं प्रस्तावित राशि रू. 10/– प्रति प्रमाण पत्र करने का प्रस्ताव रखा गया।

निर्णयः–सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को शासी परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।

b) झारखण्ड राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों या पारामेडिकल संस्थानों से पारानेडिकल पाठ्यकमों में उत्तीर्ण छात्रों के निबंधन पर विचारण।

प्रस्ताव एवं निर्णयः–वर्त्तमान में

- यदि पाठ्यक्रम दूरस्थ माध्यम से हो तो वैसी स्थिति जब आवेदक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यकम दूरस्थ माध्यम से किया हो और उस संस्थान से संबंधित राज्य में पारामेडिकल परिषद् न हो अथवा पारामेडिकल परिषद् द्वारा निबंधित न किया गया हो तो उन आवेदकों का परिषद् द्वारा निबंधन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।
- यदि पाठ्यक्रम नियमित हो तो वैसी स्थिति जब आवेदक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यकम नियमित माध्यम से किया हो और उस संस्थान से संबंधित राज्य में पारामेडिकल परिषद् न हों, वैसी स्थिति में संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा पाठ्यक्रम एवं संस्थान संबंधित मान्यता दिये जाने का सक्षन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही छात्र के निबंधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

c) वैसे आवेदक जो वर्तमान में झारखण्ड सरकार के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत है एवं उन्हें जिस संस्थान से उपाधि मिली है उनकी मान्यता संबंधित संस्थान के सरकार/पारामेडिकल परिषद् से भी नहीं है, तो उनके निबंधन पर विचारण।

प्रस्तावः–वर्तमान में परिषद् में निबंधन हेतु ऐसे आवेदक आ रहे हैं जो अभी झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनुबंध पर कार्यरत हैं एवं उन्हें पारामेडिकल पाठ्यक्रम में उपाधि जिस संस्थान से मिली है उसकी मान्यता सरकार या सरकार के सक्षम प्राधिकार या परिषद् से नहीं है।

निर्णयः–सर्वसम्मति से शासी परिषद् के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन संस्थानों की मान्यता सरकार या परिषद् से नहीं है, वैसे संस्थानों से पारामेडिकल पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों का निबंधन नहीं किया जायेगा।

Scanned By Scanner Go

d) झारखण्ड राज्य के अंतर्गत पूर्व से एवं वर्तमान में स्थापित विश्वविद्यालयों में संचालित नया डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के निबंधन पर विचारण।

प्रस्ताव–झारखण्ड पारामेडिकल/पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली, 2010 के प्रावधान पूर्व से संचालित तथा भविष्य में स्थापित/संचालित होने वाले सभी पारामेडिकल /पारा डेन्टल शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी। विचार-विमर्श के क्रम में परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि राज्य के अंतर्गत पूर्व से एवं वर्तमान में स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित नया डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों का निबंधन परिषद् में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक संचालित पाठ्यक्रमों का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा नहीं करा लिया जाता है।

निर्णय–सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद् द्वारा निरीक्षण के बाद ही विश्वविद्यालयों में संचालित पारामेडिकल पाठ्यक्रमों का निबंधन किया जायेगा।

e) जी. पी. एजुकेशनल इंस्टीच्यूट, रांची जिसकी मान्यता झारखण्ड सरकार से है एवं जो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, से उत्तीर्ण छात्रों के निबंधन पर विचारण।

प्रस्ताव–झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद् द्वारा निबंधन करने के क्रम में आवेदक द्वारा निबंधन आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है। अगर कोई संस्थान वर्तमान में निष्क्रिय या बंद हो चुका है तो वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना परिषद् के लिए कठिन हो जाता है। किसी निर्धारित वर्ष में ऐसे संस्थानो में अध्यनरत या उत्तीर्ण छात्रों की संख्या की स्पष्ट एवं सही जानकारी मिल पाना कठिन होता है।

निर्णय–सर्वसम्मिति से निष्क्रिय या बंद हो चुके मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्त उपाधि का निबंधन परिषद् द्वारा नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

f) Nation Inst of Open Schooling, GOI, New Delhi से पारामेडिकल पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों के निबंधन पर विचारण।

प्रस्ताव–मुक्त स्कूली पद्धति के पारामेडिकल पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण की जानकारी नहीं दी जाती है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के बिना पारामेडिकल पाठ्यक्रम अपूर्ण माना जाता है।

निर्णय–सर्वसम्मिति से मुक्त स्कूली पद्धति से उत्तीर्ण छात्रों को प्राप्त उपाधि का निबंधन परिषद् द्वारा नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

कार्यावली सं.–12–परिषद् एवं रिम्स अन्तर्गत राजकीय पारामेडिकल संस्थान में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के वेतन से पी. एफ. एवं अन्य कटौती के प्रावधानों को लागू करने पर विचारण।

प्रस्ताव–वर्तमान में परिषद् एवं रिम्स अन्तर्गत पारामेडिकल संस्थान में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को संविदा नियमों के अनुरूप वेतन का भुगतान हो रहा है। झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य अन्तर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के वेतन से भविष्य निधि एवं अन्य कटौती को लागू करने के लिए निर्देश पारित है। शासी परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा एन.एच.एम., झारखण्ड में भविष्य निधि एवं अन्य कटौती के लिए अपनायी गई नियमो के आधार पर लागू करने का विचार दिया गया।

Scanned By Scanner Go

निर्णय– सर्वसम्मिति से शासी परिषद के सदस्यों द्वारा झारखण्ड एम.एच.एम. में लागू नियमों के अनुरूप परिषद एवं रिम्स अन्तर्गत राजकीय पारामेडिकल संस्थान में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के वेतन से भविष्य निधि एवं अन्य कटौती को लागू करने का निर्णय लिया गया।

कार्यावली सं.–13–आउटसोर्स पर परिषद में कार्यरत कर्मी को परिषद द्वारा कर्मी को बिना किसी कटौती के सीधे भुगतान करने पर विचारण।

प्रस्ताव आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी को एजेन्सी का कर्मी माना जाता है। कार्यरत कर्मी पर नियंत्रण एवं वेतन भुगतान एजेन्सी के नियमों के अनुसार एजेन्सी द्वारा ही किया जा सकता है।

निर्णय सर्वसम्मिति से शासी परिषद के सदस्यों द्वारा आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मी को सीधे परिषद से भुगतान के विचार को अस्वीकृत किया गया।

कार्यावली सं.–14–अन्यान्य(अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद की अनुमति से)

a. UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ माध्यम से B.Sc.(MLT) Course के Registration पर विचारण।

प्रस्ताव वर्त्तमान में दूरस्थ माध्यम से B.sc(MLT) Course में उत्तीर्ण छात्रों द्वारा परिषद में निबंधन हेतु पृच्छा की जा रही है। शासी परिषद के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि दूरस्थ माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय संबंधित राज्य के पारामेडिकल परिषद या सरकार द्वारा निर्देशित संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र या मान्यता संबंधित पत्र निबंधन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

निर्णय सर्वसम्मिति से शासी परिषद के सदस्यों द्वारा उपरोक्त सुझाव को लागू करने का निर्णय लिया गया।

b. निबंधन शुल्क की बढोत्तरी पर विचारण।

प्रस्ताव वर्त्तमान में झारखंड राज्य पारामेडिकल परिषद द्वारा निबन्धन शुल्क निम्न प्रकार लिया जा रहा है:–

i. राज्य के अंतर्गत सरकारी संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों हेतु– रू0 1000/–
ii. राज्य के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों हेतु– रू0 1500/–
iii. राज्य के बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों हेतु– रू0 2500/–

विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, चाईबासा, झारखंड द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि झारखंड के सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों से उतीर्ण छात्रों के निबन्धन हेतु निबन्धन शुल्क में समरूपता होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बढोत्तरी के उद्देष्य से राज्य के अंतर्गत सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों हेतु– रू0 1500/– एवं राज्य के बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों हेतु– रू0 3000/– किया जा सकता है।

निर्णय– सर्वसम्मिति से प्राचार्य, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, चाईबासा, झारखंड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया।

c. निदेशालय द्वारा पारामेडिकल के लिपिकीय कार्यों के लिये एक लिपिक को नामित करने पर विचारण।

प्रस्ताव सदस्य सचिव के द्वारा कार्यबोझ को देखते हुए एक विभागीय लिपिक की आवश्यकता बतायी गई जो निदेशालय में पारामेडिकल से सम्बंधित सचिकाओं/पत्रों आदि का निष्पादन करेंगे। पूर्व में श्री जयप्रकाश नारायण सिंह लिपिक संतोषप्रद ढंग से इस कार्य को करते थे परन्तु उनके स्थानांतरण के

Scanned By Scanner Go

फलस्वरूप कार्य में कठिनाई महसूस की जा रही है। अध्यक्ष महोदय से सदस्य सचिव ने अनुरोध किया कि यथासम्भव हो तो श्री जयप्रकाश नारायण सिंह, लिपिक को पुनः इस कार्य में लगाया जाय।

निर्णयः अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

d. नया संस्थान प्रारम्भ करने के लिये आवेदन शुल्क में वृद्धि पर विचारण।

प्रस्तावः वर्त्तमान में झारखंड राज्य पारामेडिकल परिषद् द्वारा नया संस्थान प्रारम्भ करने के लिये आवेदन शुल्क के साथ नियमानुसार रू. 100,000/– (रूपये एक लाख) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जा रहा है। परिषद् के आमदनी को दृष्टिगत रखते हुए शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

निर्णयः सर्वसम्मिति से शासी परिषद् के सदस्यों द्वारा शुल्क में वृद्धि हेतु निर्णय लिया गया कि आवेदन शुल्क रू. 100,000/–(रूपये एक लाख) के साथ प्रति पारामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु रू. 20,000/– (रूपये बीस हजार) अतिरिक्त के दर से आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की समाप्ति की गई।

ह0 —

(डॉ0 विवेक कश्यप)
प्राध्यापक, पी.एस.एम.,विभाग, रिम्स, सह
सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निदेशक,
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्,राँची

ह0 —

(डॉ. सुमन्त मिश्रा)
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ सह
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्,राँची

ज्ञापांक सं0:..73../झा0रा0पा0प0,राँची। दिनांकः..28/08/2017

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, स्वा0, चि0 शि0 एवं प0 कल्याण विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 विवेक कश्यप)
प्राध्यापक, पी.एस.एम.,विभाग, रिम्स, सह
सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निदेशक,
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्,राँची

Scanned By Scanner Go